

Original Article

बौद्ध धर्म में महिला-पुरुष समानता: के अधिकार

डॉ. पंकज कुमार

सामाजिक विज्ञान संकाय (इतिहास)

ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

Manuscript ID: सारांश

JRD -2026-180616

ISSN: 2230-9578

Volume 18

Issue 6(A)

Pp 68-70

June - 2026

Submitted: 10 May 2026

Revised: 20 May 2026

Accepted: 10 June 2026

Published: 30 June 2026

प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय भारतीय समाज में परिवर्तनवादी सोच को प्रदर्शित करता है। इस सोच का सम्बन्ध उन समस्त बातों से था जिन प्राचीन भारतीय समाज का शोषण हो रहा है। शोषण की इन प्रवृत्तियों अस्पृश्यता, कर्मकाण्ड, सामाजिक असमानता और स्त्रियों की हीन अवस्था जैसी बातों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत आलेख बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सोच का समीक्षात्मक प्रयास प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: क्रांतिकारी, बौद्ध धर्म, कर्मकाण्ड, सकारात्मक, अस्पृश्यता, सम्मानजनक आदि

भूमिका

वास्तव में, बौद्ध धर्म ने महिला मुक्ति और महिला समानता के आदर्श को समाज के सामने रखा। बौद्ध धर्म में जिस बिहार व्यवस्था की स्थापना की गई वह भी महिला-पुरुष समानता का आदर्श प्रस्तुत करता था। प्रायः महिलाओं के लिए उनका बिहार जीवन पुरुषों के लिए उपलब्ध आत्मनिर्णय और प्रतिष्ठा के लगभग बराबर था। भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षु संघ की स्थापना के पाँच वर्ष बाद की गई। इस संघ की स्थापना के प्रारंभिक चरणों में भिक्षुणियों ने बौद्ध भिक्षुओं से ही अनुशासनिक कार्यों के विभिन्न रूपों के साथ-साथ ज्ञान के विभिन्न पक्षों को सीखा था। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का उदय भारतीय समाज में परिवर्तनवादी सोच का प्रदर्शित करता है इस सोच का सम्बन्ध उन समस्त बातों से था जिनसे प्राचीन भारतीय समाज का शोषण हो रहा था। शोषण की इन प्रवृत्तियों को अस्पृश्यता, कर्मकाण्ड, सामाजिक असमानता और स्त्रियों की हीन अवस्था जैसी बातों में देखा जा सकता है। प्रस्तुत आलेख बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण और सोच का समीक्षात्मक प्रयास प्रस्तुत करता है। यह प्रयास निम्न समस्याओं और परिस्थितियों पर केन्द्रित है— जिस समय भारतीय समाज में बौद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय समाज में पितृसत्तात्मक तत्व व्यापक पैमाने पर विद्यमान थे। उस समय लड़की का जन्म दुःख का कारण माना जाता था। तथा स्त्रियों को जुए और शतरंज के साथ तीन प्रमुख बुराइयों के रूप में माना जाता था। उस समय ऐसी महिला को आदर्श पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता था जो प्रति को देवता के रूप में स्वीकार करती थी। (पति देवता) और उसके चरणों में गिरकर स्वयं को भाग्यवान मानती थी। उस समय महिलाओं को वस्तुओं की तरह बेचा भी जाता था। ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी। यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बौद्ध धर्म और दृष्टिकोण पर उपरोक्त ब्राम्हणवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था और यदि प्रभाव पड़ा भी तो इसके क्या परिणाम सामने आये। महिलाओं के प्रति भगवान बुद्ध का यह वक्तव्य भी कई भ्रान्तियों को जन्म देता है। उन्होंने अपने शिष्य आनन्द से कहा पर अब जब स्त्रियों का संघ में प्रवेश हो गया है, आनन्द धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा। जिस प्रकार ऐसे घरों में जिनमें अधिक स्त्रियाँ और कम पुरुष होते हैं, चोरी विशेष रूप से होती है, कुछ इसी प्रकार की अवस्था उस सूत्र और विनय की समझनी चाहिए जिसमें स्त्रियाँ घर का परित्याग करके गृह विहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं। धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा। फिर भी आनन्द मनुष्य जैसे भविष्य को छोड़कर जलाशय के लिए बाँध बनवा देता है, जिससे जल बाहर न बहने लगे, उसी प्रकार आनन्द भावी के लिए मैंने आठ नियम बना दिये हैं, जिनका पतन भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य है, जब तक धर्म है, उन नियमों के पालन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनन्द बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के प्रबल समर्थक थे। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित तथ्यों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने आनन्द के कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश को स्वीकार किया। लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आनन्द, संघ में महिलाओं के प्रवेश देने के मुद्दे पर अलग-अलग पड़ गये। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में आनन्द की सिर्फ इसलिए आलोचना की गई कि उन्होंने संघ में स्त्रियों के प्रवेश का समर्थन किया था। इस प्रसंग से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अधिकांश बौद्ध, संघ में स्त्रियों के प्रवेश और उन्हें समान दर्जा दिए जाने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। ये बातें बौद्ध धर्म में पुरुषवादी दृष्टिकोण को ही पुदर्थित करती हैं। बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी यशोधरा का परित्याग करना भी एक विचारणीय प्रश्न है। बुद्ध का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक, सकारात्मक और क्रांतिकारी था। बुद्ध ने महिलाओं को ज्ञानी, मातृत्वशील, सृजनात्मक, भद्र और सहिष्णु के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना करके महिलाओं की मुक्ति के लिए नये मार्गों को खोला। महिलाओं के लिए यह सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति आलोच्य अवधि में समय से काफी आगे और क्रांतिकारी थी। बहुत सी महिलाओं ने बुद्ध के इस दृष्टिकोण का लाभ उठाया। बुद्ध की शिष्याओं में कुछ साधारण शिष्याएँ ही बनी रहीं तो कुछ भिक्षुणी बनी तथा उन्होंने सांसारिक मोहमाया का परित्याग कर दिया। बुद्ध ने पुरुषों और महिलाओं को एक एकीकृत व्यक्तित्व को पूरक पहलुओं के तौर पर करुणा और बुद्धि के रूप में देखा था। बुद्ध और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का दृष्टिकोण यह था कि महिलायें अर्हत् बन सकती हैं। कालान्तर में कई महिलाओं ने अर्हत् का पर प्राप्त भी किया।



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdrvb.org/>

DOI:

10.5281/zenodo.21503072



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

डॉ. पंकज कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय (इतिहास) ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

How to cite this article:

पंकज कुमार. (2026). बौद्ध धर्म में महिला-पुरुष समानता: के अधिकार. *Journal of Research & Development*, 18(6(A)), 68–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21503072>

त्रिपिटक जिसकी रचना तीसरी बौद्ध संगति में की गई में कई ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। जिन्होंने अर्हत् का पद प्राप्त किया। उदाहरण के लिए मगध के राजा की पत्नी क्षेमा जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के पहले ही पूर्णतः बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था। क्षेमा को बौद्ध धर्म के प्रति काफी गहरा ज्ञान था। यही कारण था कि बुद्ध इनके प्रति उच्च श्रद्धाभाव रखते थे। इसी प्रकार सोणा और पाटचारा जैसी महिलायें बौद्ध धर्म के संबंध में की जाने वाली प्रवचन के लिए जानी जाती थीं। कुछ भिक्षुणियों का अपना शिष्य समुदाय भी था। ये भिक्षुणियाँ न केवल धार्मिक प्रवचन करती थीं बल्कि वे बुद्ध या अन्य ज्ञानी भिक्षुओं के बिना भी अपने अनुचरों को सम्पूर्ण मुक्ति तक पहुँचाने का सामर्थ्य रखती थीं। चूड़वेदल्ल संयुक्त में वर्णित धम्मदिन्ना की कथा इसी बात को स्पष्ट करती है। इसमें धम्मदिन्ना अपने पूर्व पति विशाख द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती हैं। कथा के अनुसार बाद में विशाख इन उत्तरों से बुद्ध को परिचित कराता है। बुद्ध इन उत्तरों से काफी प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वे भी धम्मदिन्ना की ही तरह उत्तर देते। यह प्रसंग भी इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभिक बौद्ध युग में महिलाओं का बौद्ध धर्म में काफी स्थान था और ये साधिकाओं और शिक्षिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित थीं। इस सन्दर्भ में एक अन्य दृष्टांत का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। जब राजा उदयन की 500 पत्नियों अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई इसमें प्रसिद्ध रानी सामवती भी थी। तो इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बुद्ध ने कहा था—भिक्षुओं, इनमें से कुछ महिला अनुयायी प्रवाह विजेता थी, कुछ एक बार लौटनेवाली और कुछ कभी भी न लौटनेवाली हैं। बुद्ध के इस कथन की जब हम व्याख्या करते हैं तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि वे यह मानते थे कि महिलायें मुक्ति मार्ग के विभिन्न चरणों को प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं, जिसके माध्यम से अर्हत् का पद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध धर्म के अनुसार जाति की तरह लिंग भी व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बन सकता है। अतः बौद्ध धर्म के अनुसार महिलायें भी पुरुषों की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इस बात का समर्थन करते हुए हार्न ने लिखा है कि बुद्ध ने महिलाओं में पुरुष की तरह ही अच्छाई और आध्यात्मिक की अंतः शक्ति को देखा था।

ऐसा प्रती होता है प्रारम्भ में बुद्ध, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश के प्रति उदासीन थे। इनकी विमाता महाप्रजापति गौतमी ने कपिलवस्तु में आकर एक भिक्षुणी के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध से माँगी तो बुद्ध ने इस माँग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन कालान्तर में उन्हें अपने इस नियम में संशोधन करना पड़ा। वैशाली में जब बुद्ध रुके थे, तो महाप्रजापति गौतमी ने पुरुष वेष धारण करके, अपने साथ अनेक शाक्य स्त्रियों को लेकर रोती हुई, भगवान बुद्ध से संघ में प्रवेश की अनुमति माँगी। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द की सिफारिश पर उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति तो दी, पर साथ ही आठ ऐसे कठोर प्रतिबंध भी आरोपित कर दिये जिससे स्त्रियों का संघ जीवन काफी कष्टदायक हो गया और उनका स्थान भी निम्नतम हो गया। इन आठ नियमों में एक यह भी था कि— सौ वर्ष की भिक्षुणी को पहले भिक्षु की अभ्यर्थना करनी पड़ती थी, उसके सम्मुख आसन रिक्त निकट खड़ा हो जाना पड़ता था। और करबद्ध प्रार्थना करनी पड़ती थी, चाहे भिक्षु केवल एक दिन की ही दीक्षित क्यों न हुआ हो। पुनः भिक्षुणियाँ, भिक्षुओं के पास जाकर वार्तालाप नहीं कर सकती थीं। ये सभी दृष्टांत हमारे समक्ष कई प्रश्न उत्पन्न कर देते हैं। जब भी बुद्ध को अवसर प्राप्त होता था, वे महिलाओं के अधिकारों और समानता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते रहते थे। उन्होंने एक अवसर पर पसेनदि को जो शब्द कहे थे। उससे भी महिला समानता के संबंध में उनके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। पसेनदि यह समाचार सुनकर अत्यन्त दुःखी हुआ था कि उसकी पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है। उसने अपने मन की बात बुद्ध को बतायी। इस पर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा था—पुत्री, ज्ञानी और गुणी बनकर पुत्र से भी अच्छा संतान सिद्ध हो सकती है। यह ज्ञात हो जाने पर कि महिलायें धार्मिक जीवन अपनाने की पूरी क्षमता रखती हैं, आरम्भिक बौद्ध धर्म ने उन्हें पूर्णतया समानता का दर्जा प्रदान किया था। बौद्ध धर्म में इस बात के भी उदाहरण मिलते हैं कि यद्यपि महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल किया गया पर साथ ही साथ 8 प्रतिबंध भी आरोपित किये गये। यहाँ इस बात का भी उदाहरण मिलता है कि बादत में बुद्ध का प्रिय विश्व आनंद के पास जाकर बुद्ध के प्रवर्ता से सम्बद्ध प्रथम गुरु धर्म पर ढील देने के लिए पृच्छते हुए दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भिक्षुणियों ने अपने आपको आलोच्य अवधि में सफलतापूर्वक व्यवस्थित कर रखा था। महाप्रजापति गौतमी के बारे में कहा जाता है कि वे महिलाओं को नेतृत्व करती हैं जो बौद्ध के भिक्षुओं के समानान्तर चलती हैं। यहाँ यह प्रसंग उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में बुद्ध द्वारा प्रजापति गौतमी पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तथा उनकी शिष्याओं ने केश कटायें, कासय अर्थात् गेरुआ वस्त्र पहने तथा वे बुद्ध के धर्म, और संघ का अनुसरण करती हुई दिखाई गई हैं। यहाँ महिलाओं के विद्रोही स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। जब आरम्भ में बुद्ध द्वारा उनकी माँग अस्वीकार कर दी जाती है, तब वे अपनी सखियों के पास आती हैं और आपस में विचार विमर्श करती हैं। इसके बाद वे कहती हैं यदि बुद्ध ने आज्ञा दी हो तो हम धर्म मार्ग पर चलेंगी और यदि न दी तब भी हम यही करेंगी।

उपर्युक्त वक्तव्यों और प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्ध स्त्री-पुरुष समानता के प्रबल समर्थकों में से एक थे। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति पहले की तरह सम्मानपूर्ण भावना नहीं दिखाई देती है। महापरिनिर्वाणोत्तर काल के बौद्ध ग्रन्थों में महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट, नीच, कपटी, विश्वासपाती, अविश्वासी, चरित्रहीन, कामुक, ईर्ष्यालु, लालची, बेलगाम, मूर्ख और फिजूलखर्चीली जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। इसी प्रकार बौद्ध संघ में महिलाओं की उपस्थिति को भारी त्रासदी के रूप में चित्रित किया गया है। और इनकी तुलना डकैतों द्वारा लूटे गये पर फफूंद से ग्रस्त धान की फसल तथा लाल रोग से संक्रमित गन्ने की फसल से की गई। तापसिक नारी द्वेष, जो पालि ग्रन्थ त्रिपिटक के अंतिम तह में पाया जाता है, का भी स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण और नकारात्मक था। उसे मानव जाति के पतन तथा आध्यात्मिक प्राणी की मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना गया। आलोच्य अवधि में महिलाओं की तुलना 5 प्रकार से की गई है गुस्सेल चिड़चिड़ी, द्विशाखित जुबानवाली, इनती विषैली कि मार डाले तथा मित्रघातक। जातक ग्रन्थों में भी महिलाओं के प्रति अत्यन्त अपमानजनक बातें कहीं गई हैं। इनमें कहा गया है कि औरतें सन्यासियों को उनके लक्ष्य से पथभ्रष्ट कर देती हैं। चुल्ल-पदुम जातक में बोधिसत्व के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार उसने अपनी प्यासी पत्नी का प्यास बुझाने के लिए अपने घुटने से रक्त निकालकर दिया और बदले में उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की और वह एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ रहने लगी। इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर बोधिसत्व कहते हैं—भिक्षुओं जब मैं जानवर के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, तब भी मैं नारी जाति की अकृतज्ञता, छल, दृष्टता और लंपटता के विषय में अच्छी तरह जानता था। और उस समय उनके नीचे रहने के बजाये मैंने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा था। एक अन्य जातक ग्रन्थ में यह कहा गया है बोधिसत्व अपने पिता से कहते हैं। यदि औरतें इस घर में आती हैं तो मन की शांति न मुझे मिलेगी और न आपको। अब यह प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म जिसका आधार लैंगिक समानता था, में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महिलाओं के प्रति इतनी दुर्भावना क्यों प्रदर्शित की जाने लगी। ऐसा देखा जा सकता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पड़ा बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म में तपस्वीकरण, ब्राह्मणीकरण, मंत्रीकरण और मूर्तिपूजा जैसी बातों को अपनाया जाना इसी बात को सिद्ध करता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने का है कि प्राचीन भारतीय समाज पुरुष प्रधान था। जब बौद्ध धर्म पर इन बातों का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगा। यही कारण था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हो गया जिस पर एक बड़े शक्तिशाली पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रभुत्व था। इसी तरह की मानसिकता वाले लोगों द्वारा कालान्तर में बौद्ध साहित्य का सम्पादन और संशोधन किया गया और उन्होंने महिलाओं को अपूर्ण, दृष्ट नीच, कपटनी, अविश्वासी, कामुक जैसी उपाधियों से विभूषित किया। इसी दृष्टिकोण के कारण धीरे-धीरे महिलाओं को हीन समझा जाने लगा।

निष्कर्ष :-

महिलाओं की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करते समय यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्राचीन भारतीय बौद्ध साहित्य में पाये जाने वाले महिला विरोधी वक्तव्य और कथन बौद्ध बिहार के विशिष्ट वर्ग उन सदस्यों द्वारा जोड़ा गया क्षेपक हो सकता है जिनके महिलाओं के प्रति रुख के विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आकार प्रदान किया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि त्रिपिटक का बहुत बड़ा भाग तृतीय बौद्ध संगति के बाद संकलित किया गया। त्रिपिटक में बार-बार होने वाले संशोधनों के कारण भी महिलाओं के संबंध में व्यक्त किए जाने वाले विचारों में विविधता मिलती है। भिक्षुणी संघ की स्थापना तथा बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में परस्पर विरोधी मत एक ही ग्रन्थ में देखे जा सकते हैं। इसमें गौतम बुद्ध यह स्वीकार करते हैं कि दुर्भाग्यवश भिक्षुणी संघ की स्थापना दीक्षा प्राप्त करने की आज्ञा न दी जाती तो बौद्ध धर्म एक हजार वर्ष तक जीवित रहता, लेकिन अब क्योंकि

महिलाओं ने दीक्षा प्राप्त कर ली है, बौद्ध धर्म जीवन अधिक समय तक नहीं चलेगा केवल 500 वर्ष इस आधार पर यह कहना ज्यादा युक्ति संगत होगा कि बुद्ध, जिनके दुष्टिकोण का आधार ही सामाजिक समानता थी, वे ऐसे विचार क्यों व्यक्त करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस प्रसंग को एक क्षेपक के रूप में जोड़ा गया। बौद्ध ग्रन्थों में बार-बार विचारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे ठीक ढंग से समझने के लिए हमें उस विशेष सांस्थानिक या बौद्धिक संदर्भ की पहचान कर लेनी चाहिए जिसमें से इस प्रकार के प्रत्येक विचार का उद्भव हुआ है। कैट ब्लैकस्टन ने लिखा है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रति देशभाव इस तथ्य की उपज था कि महिलाओं की दीक्षा को धर्म और विनय के लिए एक गम्भीर और अपरिहार्य खतरे के रूप में देखा गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मैत्रायणी संहिता, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी 1998
2. ऐतरेय ब्राह्मण, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी 1998
3. विनय पिटक का आँठवा नियम
4. विनय पिटक का प्रथम नियम विनयपिटक, चुललवग्ग 10/1
5. अगवुत्त सुत्त में उल्लिखित
6. मज्जिम निकाय
7. विनय पिटक चुललवग्ग 1/11
8. डायना पॉल, वूमैन इन बुद्धिज्म: इमेजेज ऑफ द फेमिनिन इन महायान ट्रेडिशन, बर्कले यूनिवर्सिटी प्रेस 1979 प. 245, 304
9. वही, पृ.-95 Vth Vols, पृ. 268
10. एडिट नोलोट, रेगलेस दे डिसिपलिन डेस ननस बुद्धिस्ट: ले भिक्खुनियाँ डेल इकोल महासंधिका लोकोत्तरवादीन, पेरिस कॉलेज डे फ्रांस, 1961